

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)


सं. 13017/15/2021-अ.भा.से.-I

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 9 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री अभिषेक शर्मा, आईएएस (छत्तीसगढ़:2018) की छत्तीसगढ़ संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति की अवधि को, नीति में छूट प्रदान करते हुए, 08.07.2024 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु अनुमोदन प्रदान करती है।


(संजय कुमार चौरसिया)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23093063

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002